

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2020/354

दिनांक : 17 मई, 2020

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बून्दी/वाडमेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/
करौली/वारां।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण (Covid-19) के मध्यनजर जिला सिरोही में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लेब टैक्नीशियन संवर्ग के कार्मिकों को कार्य व्यवस्था के तहत लगाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इससे उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला सिरोही में जांच कार्य हेतु कार्मिकों की कमी को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त मुख्य सचिव महादय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आपके अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत लेब टैक्नीशियन संवर्ग के कार्मिकों को निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक जिला सिरोही में कार्य व्यवस्था के तहत लगाते हुये संबंधित कार्मिक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु आज ही कार्यमुक्त करते हुये रिपोर्ट ई-मेल आई.डी. add4ng@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें :-

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान	कार्य व्यवस्थार्थ लगाये जाने वाले कार्मिकों की संख्या
1	मु.चि.एवं स्वा.अधिकारी, वाडमेर	5
2	मु.चि.एवं स्वा.अधिकारी, बून्दी	3
3	मु.चि.एवं स्वा.अधिकारी, वारां	3
4	मु.चि.एवं स्वा.अधिकारी, श्रीगंगानगर	3
5	मु.चि.एवं स्वा.अधिकारी, हनुमानगढ़	3
6	मु.चि.एवं स्वा.अधिकारी, करौली	3

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

दिनांक : 17 मई, 2020

क्रमांक : अराज/सामान्य/2020/354

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान को प्रेषित कर लेख हैं आप भी उक्त संबंधित पालना सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारी को अपने स्तर पर पाबन्द करें
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय संबंधित को तुरन्त प्रभाव से ई-मेल करते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर